कृषि किरण अंक-16, जुलाई-दिसंबर 2023: पृष्ठ: 26-29
http://saaer.org.in

पहाड़ी कृषि के स्वरूप में बदलाव क्यों व कैसे?

बिंदिया दत्त
सहायक प्राध्यापक, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबधन विभाग कम्युनिटी साइंस महाविद्यालय, चौ.स. कु. हि. प्र. कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर

भारत जैसे विकासशील देश में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह ही वह क्षेत्र है जो देश में सतत आजीविका, खाद्य पोषण की सुरक्षा, कच्चा माल प्रदान कर औद्योगिक करण को बढ़ावा देने व बेरोजगारी को न्यूनतम करने में अहम भूमिका निभाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 54.6 प्रति शत आबादी कृषि व कृषित कार्यों में संलग्न है। इसी कारण से भारत कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत के सभी प्रदेशों में कृषि कार्य किये जाते है, परंतु पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 89.96 प्रति शत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते है। अतः इसी कारणवश प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या (62%) कृषि व कृषि से जुड़े कार्यों में अपना समय गुजारती है व यह उनकी आजीविका का माध्यम है। प्रदेश के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 11 प्रति शत ही खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रदेश में अनाजीय फसलों में मुख्यतः धान, मक्का व गेहूं की खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की अपनी ही विवशताएँ है जिसके कारण यह पाया गया है की हिमाचल प्रदेश में जहां 1990 -91 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व कृषि कार्यों का योगदान 26.5 प्रति शत था वह 2017-18 में घटकर 8.8 प्रति शत रह गया है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है की प्रदेश के शुद्ध बोये गये क्षेत्र में कमी आ रही है जहाँ यह 1974-75 से 1990-91 में 30 हज़ार हेक्टेयर बड़ा था वह 1990-91 से 2007-08 में 53 हज़ार हेक्टेयर कम हुआ है। इन आंकड़ों के मध्य नज़र यह सोचना व् समझना आवश्यक है कि इसके पीछे क्या कारण है। अत: वैज्ञानिकों ने शोध कर इसके पीछे कुछ कारणों को चिंहित किया है। यह कारण इस प्रकार से है:-

1 लघु व सीमांत किसानों की अधिकाशंता

प्रदेश में 68.21 प्रति शत सीमांत किसान है जिनके पास केवल 26.67 प्रति शत ही खेती योग्य भूमि है। इसके अलावा 18.82 प्रति शत किसान लघु किसान है जिनके पास 25.27 प्रति शत खेती योग्य भूमि है। जबकि केवल 13 प्रति शत ही बड़े किसान है जिनके पास 48 प्रति शत खेतीहर भूमि है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है की भूमि वितरण में काफी असमानता है जिसका लघु व सीमांत किसानों के लाभों पर असर पड़ता है। यह

किसान आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने में भी असमर्थ रहते है व इतनी संख्या में इन किसानों का होना प्रदेश के कृषि योगदान पर असर डालता है।

2 आवारा पशुओं की समस्या

जंगली जानवर जैसे कि बंदर, नील गाय, सुअर इत्यादि फसलों पर प्रहार कर उन्हें नष्ट कर देते है। अत: इस कारण से किसान की कृषि में लगी लागत पर दुष प्रभाव पड़ता है। इस कारण से किसान का कृषि के प्रति रुझान कम हो रहा है व वह आय अर्जित करने के लिए अन्य साधनों को छान रहा है।

3 अधिक लागत

कृषि अब एक लागत भरा व्यवसाय हो गया है। खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक के विभिन्न चरणों में कई प्रकार की लागत शामिल है। इसके पीछे दो महत्त्वपूर्ण कारण है:- एक तो कृषि का आधुनिकरण व दूसरा एकल परिवारों का होना। पहले के समय में परिवार संयुक्त होते थे व परिवार में 8-10 सदस्य होते थे जो मिल जुलकर खेतीबाड़ी का सारा काम कर लेते थे परन्तु एकल परिवार होने के कारण सदस्यों की संख्या 4-5 तक रह गयी है। अत: फसलों के काम में दिहाड़ीदारों की आवश्यकता पड़ती है जो कि कृषि कार्यों की लागत को बड़ा देता है।

4. जलवायु परिवर्तन

ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न होने वाले जलवायु परिवर्तन का असर प्रदेश के विभिन्न जिलो में देखा जा सकता है। बढता तापमान, बे मौसमी बरसात व बर्फ वारी से कभी सूखा व कभी बाढ़ जैसे हालातों का उत्पन्न होना हिमाचल प्रदेश की कृषि गतिविधियों पर विपरीत असर डाल रहा है। इस कारण से खेतीबाड़ी के प्रति लोगों के रुझान पर असर पड़ रहा है।

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है इसमें या तो अत्यधिक लागत लगेगी या फिर जंगलों को काटकर इसे कृषि योग्य बनाया जाए जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते है। अत: पहाड़ी राज्य में ऐसी कृषि पदतियों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे पैदावार अधिक हो। इसके लिए जरूरत है इन तथ्यों पर सोचने की:-

1. कृषि विविधीकरण

इसका अर्थ है एक ही खेत में विभिन्न फसलों का लगाना। प्रदेश के छह जिले - लाहौर- स्पिति, चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर साल के अधिकांश महीने बर्फ पड़ने के कारण बंद रहते है। अत: इन जिलो के समक्ष सबसे अधिक चुनौती होती है अपने समय व भूमि का अत्यधिक उपयोग करना। प्रदेश के अन्य छह जिले जलवायु परिवर्तनशीलता, पर्वतीय कठिनाइयों, सीढ़ीनुमा खेती, बढती जनसंख्या इत्यादि से जूझ रहे है। अत: यहाँ के कृषकों के लिए कृषि से जुड़े रहने के लिए कृषि विविधीकरण ही एक सर्वोतम माध्यम है ।

प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, शिमला जिलो में 1950 के समय सेब की खेती कृषि विविधीकरण की तरफ पहला कदम था व धीरे- धीरे 1960 के बाद सेब की खेती चम्बा, लाहौर- स्पिति, सिरमौर व सोलन में भी शुरू की गई। 1990 के समय में प्रदेश के किसान सब्जी उत्पादन की ओर अग्रसर हो गए ताकि वह अधिक लाभ कमा सके। आज के समय में एकीकृत कृषि, कृषि विविधीकरण का एक सही उदाहरण है। जिसके कारण सालाना किसान खेती से आय अर्जित कर सकते है।

2 मूल्य संवर्धन व प्रंसस्करण पर दबाव

प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ मजबूर करती है कि पहाड़ी कृषि के उत्पाद को प्रंसस्करण विधि के द्वारा अधिक समय तक संभाल कर रखा जा सके। हिमाचल प्रदेश में यदपि सड़कों का अच्छा खासा विकास हुआ है परन्तु मौसमी प्रक्रिया कभी भी तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाने में रोड़ा बन जाती है व कई बार या तो किसान मजबूर हो जाता है कि वह कम मूल्य में उत्पाद बेचे या फिर फसल ख़राब हो जाती है। अत: सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं के प्रंसस्करण पर खास जोर दिया जा रहा है ताकि मूल्य संवर्धन कर अधिक आय कमाई जाए व दूसरा इसे लम्बे समय तक रखा जा सके।

3 जागरूकता फैलाना

कृषि क्षेत्र में दिनों- दिन नए आविष्कार हो रहे है। चाहे बात करें मशीन करण की , नए व उन्नत बीजों की, कई प्रकार की खादों की, शून्य लागत खेती की परन्तु इन आविष्कारों या तकनीकों के प्रति जागरूकता का अभाव एक पहाड़ी कृषि की तरक्की पर विपरीत असर डालता है। सरकार द्वारा कृषि को बढ़ाबा देने हेतू व कृषि में आने वाली अडचनों को कम करने के दृष्टिकोण से कई योजनाएँ चलाई जा रही है जैसे की सोलर फैंसिंग, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, सुभाष पालेकर परम्परागत कृषि विकास योजना इत्यादि। अत: जरूरत है हमारी प्रसार गतिविधियों पर जोर देने की ताकि इनका लाभ हर एक किसान तक पहुँचाया जा सके।

6 लघु व् सीमांत किसानों के मध्य नज़र हेतु किसान उत्पादन संगठनों का निर्माण

किसान उत्पादन संगठन किसानों का एक ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से यह एकजुट होकर फसल उगाने से संबंधित सभी सामान का व फसल तैयार होने पर उसका विपणन करते है। इन संगठनों के माध्यम से किसान को अपने खेतों के लिए बीज, खाद, कीटनाशी, मशीनरी इत्यादि समय पर व सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। जिस सामान के लिए किसान अकेला बाजार का व दुकानों का चक्कर काटता है वह सारा कृषि संबंधित सामान उन्हें उनके घर दरबार बिना किसी समस्या के उपलब्ध हो जाता है। अत: लघु व् सीमांत किसानों को कृषि से लाभ लेने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है।

निष्कर्ष

कृषि देश के सतत विकास के लिए एक अहम पायदान है। यह क्षेत्र खाद्य पोषण को सुनिश्चित करता है व बेरोजगारी को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक परिसिथियो परिस्थियों परिस्थितियों खेतीहर भूमि पर निर्भर करती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लघु व सीमान्त किसानो की बहुतायता यहाँ की कृषि पर असर डालती है। इन किसानों के पास कम खेतिहर भूमि होती है। हिमाचल में खेतों का सीढ़ीनुमा होना अपने आप में ही कृषि आधुनिकता अपनाने के प्रति एक कड़ी चुनौती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन इन सब कारकों में एक और कड़ी जोड़ देता है। अत: समय की आवश्यकता है कृषि पदतियो में बदलाव लाने की ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और उनका कृषि के प्रति रवैया निराशाजनक ना हो। अत: समय की माँग है कृषि विविधीकरण के बारे में सोचने की, खाद्य मूल्य वर्धन व प्रंसस्करण की, किसानों को संगठित करने की ताकि हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े किसान को लाभ मिल सके व पहाड़ी क्षेत्र में कृषि के स्वरूप में बदलाव लाया जा सके व हर छोटा बड़ा किसान लाभांवित हो सके।